



कार्यालय: जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त, पलामू
(जिला योजना शाखा)

email : dpopalamau@gmail.com

Office:06562-230859

Short-Expression of Interest (EOI)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम :- उपायुक्त, पलामू।
2. EOI जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 15.12.2020 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
3. EOI जमा करने का स्थान एवं समय :- जिला योजना कार्यालय, पलामू कार्यालय अवधि में।
4. EOI खोलने का स्थान, तिथि एवं समय :- उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, दिनांक 15.12.2020 को 1:30 बजे अपराह्न

उपायुक्त कार्यालय (जिला योजना शाखा) द्वारा पर्यटन मद अन्तर्गत जिलास्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति से अनुमोदित निम्नांकित पर्यटक स्थलों के पर्यटकीय विकास हेतु Expression of Interest (EOI) की मांग की जाती है :-

1. प्रखण्ड मोहम्मदगंज के भीमचुल्हा पर्यटक स्थल का विकासीय कार्य:-

(क) वाच टावर (ख) जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण-पर्यटकों की सुविधा एवं सम्पूर्ण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए (ग) सोलर विद्युतीकरण (घ) वाहन प्रबंधन कर्णांकित अधिकतम राशि - 35.00 लाख

2. प्रखण्ड तरहसी के झारखण्डी मंदिर पर्यटक स्थल का विकासीय कार्य।

(क) जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण-पर्यटकों की सुविधा एवं सम्पूर्ण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए (ख) सोलर विद्युतीकरण (ग) वाहन प्रबंधन कर्णांकित अधिकतम राशि - 15.00 लाख

3. मेदिनीनगर प्रखण्ड के चियांकी पार्क निर्माण का अवशेष विकासीय कार्य।

(क) जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण-गजीबो, गार्डन लाईट्स, ग्राफीक डिजाईन आदि (ख) सोलर विद्युतीकरण (ग) वाहन प्रबंधन(घ)फंट एरिया डेवलपमेंट-एल0ई0डी0 बोर्ड, पार्किंग लाईट, सी0सी0टी0भी0 कैमरा आदि (च) पहाड़ के सौंदर्यीकरण हेतु निम्नलिखित का क्रय:-

बारबेडोस चेरी का पौधा (100 पीस)
नासपति का पेड़ (100 पीस)
आडू का पेड़ (100 पीस)
गुलमोहर का पेड़ (100 पीस)
शेर ए कश्मीर लेवेंडर का बीज (10 कि0ग्रा0)
कोकोपीट (01टन)
नीम की खल (01 टन)
वर्मी कंपोस्ट (01 टन)
सीवीड एक्सटेक्ट (लिविड फर्टिलाईजेर आर्गेनिक) (100 ली0)
कर्णांकित अधिकतम राशि - 40.00 लाख

“उपर्युक्त बिंदु आवेदनकर्ता के Reference के लिए है, इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा उपरोक्त पर्यटक स्थलों का निरीक्षण के पश्चात उपरोक्त तीनों या किसी एक या दो पर्यटन स्थल के विकासीय कार्य का विस्तृत प्रस्ताव समर्पित कर सकता है, परन्तु प्रत्येक पर्यटन स्थल के सम्पूर्ण विकासीय कार्य का Design, Video Presentation, PPT आदि के माध्यम से प्रस्ताव समर्पित करना होगा।”

Terms of EOI :-

1. इच्छुक फर्म/संस्थान को प्रत्येक पर्यटक स्थल के विकासीय कार्य के प्रस्ताव के साथ 10000.00 (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट (Non Refundable) जो District Planning Officer, Palamu के पदनाम से Daltonganj में भुगतये हो, अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।
2. इच्छुक फर्म/संस्थान के पास GST का निबंधन झारखण्ड में अवश्य होना चाहिए।
3. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा Updated GST Return जमा करना होगा।
4. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा झारखण्ड सरकार के किसी कार्य विभाग का निबंधन अवश्य संलग्न करना होगा।
5. इच्छुक फर्म/संस्थान को पर्यटक स्थलों के विकासीय कार्य का अनुभव अवश्य होना चाहिए। साथ ही, EOI में अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
6. इच्छुक फर्म/संस्थान को अपनी निविदा में सभी प्रकार के करों (GST) आदि को सम्मिलित करते हुए दर उद्धृत करना होगा।
7. झारखण्ड राज्य के फर्म/संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सफल फर्म/संस्थान द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति/विकासीय कार्य आदेश की तिथि से 45 दिन के अंदर करना होगा।
9. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा उक्त पर्यटक स्थलों का एक वर्ष तक रख-रखाव एवं किसी तरह की खराबी (Defect) आने पर अपने खर्च पर स्वयं बदलना होगा, इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
10. इच्छुक फर्म/संस्थान को पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैलेंस शीट निविदा के साथ जमा करना होगा।
11. इच्छुक फर्म/संस्थान को Technical Proposal एवं Financial Proposal अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में डालना अनिवार्य होगा। इच्छुक फर्म को निर्धारित तिथि को Presentation प्रदर्शित करना होगा।
12. Evaluation Criteria के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव में निम्न अनुसार Weightage दिया जायेगा :-

Evaluation Criteria	Weightage
Technical Proposal	40%
Presentation	40%
Financial Proposal	20%

13. Technical Proposal and Presentation संतोषजनक पाये जाने पर ही Financial Proposal खोला जायेगा।
14. EOI को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त, पलामू को सुरक्षित होगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उपायुक्त, पलामू।